न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।
अपील सख्याः–593/2020 (जीसीएमएस नं. 2020/00481)

1. नरेन्द्र पुत्र श्री गिर्राज जाति अहीर, निवासी ग्राम लीली, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राजस्थान।
2. विक्रम सिंह पुत्र रामकिशोर जाति अहीर, निवासी ग्राम लीली, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर राजस्थान।

.....**अपीलार्थीगण**

बनाम

1. हीरालाल पुत्र श्री गंगासहाय, जाति अहीर, निवासी ग्राम लीली, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर (राज.)।
2. किरण पुत्री श्री मदन, जाति अहीर, निवासी ग्राम थाना राजाजी, तहसील–राजगढ, जिला अलवर (राज.)।
3. टीकाराम पुत्र रामकिशोर जाति अहीर, निवासी ग्राम लीली, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर (राज.)।
4. धारासिंह पुत्र रामकिशोर जाति अहीर, निवासी ग्राम लीली, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर (राज.)।
5. सन्तरा पत्नी गिर्राज जाति अहीर, निवासी ग्राम लीली, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर (राज.)।
6. सूरज प्रसाद पुत्र गंगासहाय जाति अहीर, निवासी ग्राम लीली, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर (राज.)।
7. हेमा पुत्री मदन जाति अहीर, निवासी ग्राम भवनपुरा, तहसील कठुमर, जिला अलवर (राज.)।
8. रमेशचन्द पुत्र रामकिशोर जाति अहीर, निवासी ग्राम भवनपुरा, तहसील कठुमर, जिला अलवर (राज.)।
9. सूरज पत्नी मदन जाति अहीर, निवासी ग्राम भवनपुरा, तहसील कठुमर, जिला अलवर (राज.)।

..... **रेस्पोडेन्टगण**

निर्णय

दिनांक 01.03.2021

अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर जिला अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 13.02.2020 के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्त अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम लीली पटवार हल्का कलसाडा, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र महुवाखुर्द, तहसील मालाखेडा, जिला अलवर में स्थित है जिसके खसरा नं. 106 रकबा 0.06 हैक्टयर गैर मुमकिन रास्ता, खसरा नं. 107 रकबा 0.30 हैक्टयर, खसरा नं. 108 रकबा 0.24 हैक्टयर., खसरा नं. 109 रकबा 0.24 हैक्टयर., खसरा नं. 110 रकबा 0.21 हैक्टयर, खसरा नं. 111 रकबा 0.03 हैक्टयर, खसरा नं. 1115 रकबा 0.04 हैक्टयर, खसरा नं. 1424 रकबा 0.01 हैक्टयर, खसरा नं. 1435 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नं. 1436 रकबा 0.24 हैक्टयर, खसरा नं.

संभागीय आयुक्त

P.T.O.

1437 रकबा 0.25 हैक्टयर, खसरा नं. 1438 रकबा 0.26 हैक्टयर, खसरा नं. 1439 रकबा 0.27 हैक्टयर, खसरा नं. 1440 रकबा 0.10 हैक्टयर है तथा उपरोक्त वर्णित भूमि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसका अभी तक विधि पूर्वक कोई भी विभाजन मौके पर नहीं हुआ है एवं अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टगण के द्वारा उक्त भूमि को मौके पर मनबट के अनुसार बांट रखा है ताकि उनके द्वारा अपने–अपने हिस्से के अनुसार कृषि कार्य किया जा सके।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टगण की भूमि जो कि ग्राम लीली से हल्दीना सीमा की ओर जाने वाले रास्ते पर स्थित है उक्त भूमि से खसरा नं. 106 जिसका रकबा हैक्टयर है वह भूमि सभी सहकाश्तकारों की भूमि पर पहुॅचने के लिए रास्ता कायम किया हुआ है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी में होते हुए भी गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है अर्थात सभी खातेदारों के द्वारा अपनी भूमि पर पहुंचने के लिए राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नं. 106 के रास्ते में से होकर आने जाने का उपयोग–उपभोग में लिया जाता रहा है एवं यह खसरा नं. 106 राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज होने के साथ ही नक्शा ट्रेस में अलग से खसरा नम्बर कायम किया हुआ है तथा रास्ता दर्शित किया हुआ है जो कि सन् 1992 के भू–प्रबन्धन के दौरान कायम कर दिया गया था जो कि इससे पूर्व से ही उपयोग में आ रहा था, इस रास्ते के नम्बर से किसी भी खातेदार को अपनी भूमि पर पहुंचने पर किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 हीरा लाल के द्वारा अपने हिस्से की भूमि पर सन् 1995 के आस--पास बिना तहसीलदार कार्यालय से अनुमति लिये अवैंधानिक रूप से मकान का निर्माण कर लिया जिस पर पहुंचने के लिए अब तक भी खसरा नम्बर 106 के रास्ते को ही उपयोग में लिया जा रहा था, उक्त रास्ते में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के मकान में पहुंचने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 को एक मोड से घुम कर जाना होता था इस कारण हीरालाल ने अपने स्वयं के फायदे के लिए प्रार्थीगण के खातेदारी जो कि मनबट के अनुसार काश्त कर रहे खसरा नं. 107 एवं 109 के बीच में से होकर रास्ता निकालने पर आमादा था तथा अपीलार्थीगण को धमकी देता था कि वह अपीलार्थीगण के खेतों में से होकर अपने घर पर जबरदस्ती जायेगा एवं इसी इरादे से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा पटवारी हल्का के साथ मिलकर बिना अपीलार्थीगण को सूचना दिये दिनांक 09.10.2018 को एक गलत रिपोर्ट इस बात की तैयार कर ली कि खसरा नं. 107 एवं 109 के मध्य में से होकर रास्ता है तथा उपयोग किया जा रहा है जबकि वास्तविक तथ्य यह है कि राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी के खसरा नं. 106 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो कि सेटलमेंट के दौरान खसरा नम्बर 106 को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया गया था उसके बावजूद भी पटवारी हल्का ने जानबूझकर राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस के विपरित जाकर बिना सहखातेदारों को सूचना दिये अवैध तरीके से गलत रिपोर्ट तहसीलदार के माध्यम से अधिनस्थ न्यायालय को पेश कर दी एवं अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण एवं अन्य रेस्पोडेन्टगण को कोई नोटिस दिये बिना ही अवैंधानिक तरीके से रास्ते संबंधी समस्याओं का निराकरण अभियान

2016 के तहत दिनांक 13.02.2020 को अवैध अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया है जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर का अपीलाधीन आदेश विधि विधान एवं पत्रावली के तथ्यों के विपरित है क्योंकि अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टगण की उपरोक्त वर्णित खातेदारी की भूमि में पहले से ही खसरा नम्बर 106 गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज है तथा नक्शा ट्रेस में रास्ता कायम किया हुआ है एवं मौके पर मौजूद है इसके बावजूद भी अवैधानिक तरीके से विवादित रास्ता कायम किये जाने के आदेश दिये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने आगे कथन किया है कि खसरा नम्बर 107 की उत्तरी सीमा पर खसरा नम्बर 106 गैर मुमकिन रास्ता है जबकि पटवारी हल्का के द्वारा खसरा नम्बर 107 की दोनों सीमाओं की ओर से दो रास्ते दिये जाने का कोई आधार नहीं है क्योंकि दोनों ही रास्ते एक जगह पहुंचते हैं इस प्रकार पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट का राजस्व रिकार्ड का नक्शा ट्रेस का मिलान किये बिना व बिना विवेक का इस्तेमाल किये आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार से मौका निरीक्षण भी नहीं करवाया गया और बिना निरीक्षण किये ही पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर अवैध निर्णय पारित किया है जो कानूनन उचित नही है। उन्होने आगे कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्टगण को सुनवाई कोई अवसर प्रदान नहीं किया कोई भी नोटिस जारी नहीं किया गया तथा किसी भी पक्षकार की सम्यक् तामील भी नहीं करवाई गई, गलत तरीके से अपने आदेश में तामील होने का उल्लेख किया है जबकि पत्रावली में ऐसा कोई नोटिस संलग्न नही है जिससे अपीलार्थीगण की तामील हुई हो। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय का सुनवाई का अवसर दिये बिना अवैधानिक आदेश पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर उपखण्ड अधिकारी अलवर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2020 को निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि तहसीलदार मालाखेड़ा के समक्ष ग्राम लीली के खसरा नम्बर 107 रकबा 0.30 हैक्टयर में से 0.03 हैक्टयर एवं खसरा नम्बर 109 रकबा 0.24 हैक्टयर में से 0.03 हैक्टयर के रास्ते का राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने हेतु राजस्थान सरकार के राजस्व विभाग द्वारा परिपत्र रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण अभियान 2016 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तत किया गया था जिस पर तहसीलदार मालाखेडा द्वारा जरिये भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी मौका रिपोर्ट मौके पर जाकर तैयार की गई थी और मौका रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात् तहसीलदार द्वारा प्रस्ताव बनाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अलवर के समक्ष उक्त प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था जिसमें तहसीलदार मालाखेडा द्वारा उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड

में अंकन किये जाने की अभिशंषा की गई थी जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभयपक्ष को सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2020 पारित किया गया जो विधि सम्मत होने से अपीलान्ट की अपील खारिज फरमाई जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निराकरण अभियान के अन्तर्गत तहसीलदार मालाखेडा से उक्त रास्ते सम्बन्धी प्रस्ताव व उक्त रास्ता मौके पर स्थाइ रूप से सड़क/कच्चा रास्ता चालू होने एवं तहसीलदार मालाखेडा की अभिशंषा पर राज्य सरकार के परिपत्र के अनुसरण में अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2020 पारित किया गया है जो विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अलवर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2020 को यथावत रखा जाता है।

(डॉ0समित शर्मा)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 01.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।